न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 61/2005 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2005/00022

उनवान

1. बीधा पुत्र मोती
2. रन्धीर पुत्र इंदर (मृतक)
   2/1. देवी सिंह } पुत्रान स्व0 रन्धीर
   2/2. एदल }

जाति लोधा निवासी देवरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. बाबू पुत्र गंगाराम (मृतक)
   1/1. हेत सिंह पुत्र }
   1/2. संतो वेवा } स्व0 बाबू जाति लोधा नि0 देवरी तह0 रूपवास, भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर, रूपवास दिनांक 09.07.2001 प्र.सं. 279/90, 209ए/98 उनवानी भोगी बनाम मोती।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–25.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.01 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा भोगी एवं वादी/रैस्पो0 बाबू ने अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि

विवादित आराजी खसरा नम्बर 239/0.14 वाके ग्राम देवरी तहसील रूपवास के वादी संख्या 01 भोगी एवं वादी/रैस्पो0 के पिता गंगाराम, यादराम तथा घूरिया के कब्जे में विस्वेदारी उन्मूलन से पूर्व मालिकान के आधार पर संवत 2010 से वादी संख्या 01 भोगी का 4 विस्वा 10 विस्वांसी व वादी/रैस्पो0 के पिता का 4 विस्वा 10 विस्वांसी तथा यादराम व घूरिया का भी 4 विस्वा 10 विस्वांसी पर कब्जा चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में पता नहीं कैसे उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर का इन्द्राज ठाकुरदास, मोती व रनधीर के ना दर्ज हो गया है। इन गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट आये दिन झगडा फसाद करते हैं एवं विवादित आराजी को दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं। अगर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादीगण/रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट के हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा। दौराने दावा वादी संख्या 01 भोगी ने राजीनामा पेश कर विवादित आराजी में अपना कोई हक नहीं माना व दावा खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से वादी/रैस्पो0 के पक्ष में डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रूपवास का अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी एवं खिलाफ मौका व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का किसी भी राजस्व रिकार्ड में कभी भी कोई इन्द्राज नहीं रहे हैं एवं ना ही रैस्पो0 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की किसी धारा के तहत खातेदारी अधिकार ही प्राप्त होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो पत्रावली का अवलोकन किया एवं नाा ही विधि के प्रावधानों को देखा, विवादित आराजी के हमेशा से खातेदार अपीलाण्ट मोती व रन्धीर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि दौराने दावा अपीलाण्ट के पूर्वज मोती व रन्धीर फौत हो चुके थे फिर भी रैस्पो0 ने उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करवाते हुये, मृतक व्यक्तियों के खिलाफ दावा डिक्री करा लिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 की झोंपडी, घूरा, हैण्डपैम्प लगे हुये हैं एवं उनका ही कब्जा काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.07.1998 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी हैं परन्तु निर्णय पारित करते समय किसी भी तनकी का विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया है। अर्थात अपीलाधीन निर्णय तनकीवाईज पारित नहीं किया गया है। आर्डर 20 रूल 5 सी.पी. सी. के अनुसार तनकीयात कायम होने पर प्रकरण का निस्तारण तनकीवाईज होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष देते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में मात्र यह अंकित किया है कि वादी संख्या 02 बाबू को विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी घोषित किया जाता है। परन्तु उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड कौनसा देखा गया ? उसका अंकन क्या था ? उक्त अंकन किस प्रकार रैस्पो0/वादी के वाद की पुष्टि कराता है ? आदि तथ्यों की कोई विवेचना नहीं की गई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2043–46 के खाता संख्या 116/103 में अंकित विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पूर्वज मोती व रन्धीर वहिस्सा बराबर सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम, प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2001 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठ भूमि में पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.05.2019 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official